



2026:AHC:124562

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18018 / 2026

सोहेलआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अक्षय मोहिते, अंकित सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री झम्मन राम को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 56 / 2026, अंतर्गत धारा 318(4), 111(6), 317(2), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66डी आई.टी. एक्ट, थाना- बिल्हौर, जिला- कानपुर नगर में आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि खाताधारक अंकित से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम कार्ड तथा बड़ौदा यू.पी. बैंक की दो पासबुक, और साथ ही विजय कुमार के एक आधार कार्ड की बरामदगी के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाए कि उसने उपरोक्त बरामद वस्तुओं का कहीं भी दुरुपयोग किया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त अर्जुन ठाकुर को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14106 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक की भूमिका भी बिल्कुल समान होने के कारण, वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है; इसलिए हिरासत में रखकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 01.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, परंतु वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए एवं जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो **2025** एससीसी ऑनलाईन एससी **3038** के मामले में दिए गए निर्णय के अधिदेश और जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2024** एससीसी ऑनलाईन ऑल **6765** के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- सोहेल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख न हो और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण/अन्वेषण में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।

11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रि: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि.) संख्या **4 / 2021** निर्णय दिनांक **31.01.2023, (2024) 10** एससीसी **685** में रिपोर्टेड के साथ-साथ पिला पाहन उर्फ पीला पाहन व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य (आपराधिक) रिट याचिका संख्या **169 / 2025**, निर्णय दिनांक **29.05.2026** के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर कानपुर देहात जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पोर्टल द्वारा तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक मोड से इस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, जे.)

2 जून, 2026

एस.ए.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"